

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 146/2022

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
रूपाराम पुत्र चुतराराम जाति कुम्हार, निवासी भैरूपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. आलाराम पुत्र सुखाराम 2. जुंजाराम पुत्र सुखाराम 3. देराजराम पुत्र चुतराराम 4. इन्द्रजीत पुत्र नरसिंगाराम 5. पुराराम पुत्र नरसिंगाराम 6. पाबूराम पुत्र नरसिंगाराम 7. मुकेश पुत्र नरसिंगाराम 8. मूलाराम पुत्र नरसिंगाराम 9. राजेश कुमार पुत्र नरसिंगाराम 10. लेहरीदेवी पत्नी नरसिंगाराम 11. राणीदेवी पत्नी नखताराम जाति कुम्हार, निवासी भैरूपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 12. नखताराम पुत्र निम्बाराम 13. कस्तुराराम पुत्र निम्बाराम 14. रामसिंह पुत्र निम्बाराम 15. चिमाराम पुत्र निम्बाराम जाति कुम्हार, निवासी हेमानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 16. प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिव 17. प्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, भाडखा 18. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- 1. अधिवक्ता वादी - श्री देवीलाल कुमावत।

2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 11 :- नरेन्द्रसिंह सियाग।



--: निर्णय :-

दिनांक : 04.11.2024

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार होने से विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में नियमानुसार तहसीलदार शिव से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर प्राप्त किया गया है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में तैयार किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव के ग्राम भैरूपुरा के खेत खसरा नम्बर 7, 522/64, 258 रकबा क्रमशः 43.3337, 12.1406, 11.0398 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म	लगान	बरग
01	देराजराम पुत्र चुतराराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	भैरूपुरा	258	1.3800	बा.दो.	-	बैंगनी
			7	10.8334	बा.चा.	-	
			522/64	3.0351	बा.चा.	-	
			03	15.2485			
02	जुजाराम पुत्र रूपाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	भैरूपुरा	258	1.3800	बा.दो.	-	पोला
			522/64	3.0352	बा.चा.	-	
			02	4.4152			
03	रूपाराम पुत्र चुतराराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार रहन खसरा नम्बर 7 व 522/64 एसबीआई शाखा शिव	भैरूपुरा	258	1.3800	बा.दो.	-	पोला
			7	10.8334	बा.चा.	-	
			522/64	3.0351	बा.चा.	-	
			03	15.2485			

(Signature)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

04	आलाराम पुत्र सुखाराम 1/2 जुंजाराम पुत्र सुखाराम 1/2 कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	भैरूपुरा	258	5.5198	बा.दो.	-	नीला
			01	5.5198			
05	इन्द्रजीत, राजेशकुमार, पुराराम, पावुराम, मुकेश, मूलाराम पि0 नरसींगाराम, लेहरीदेवी पत्नी नरसींगाराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	भैरूपुरा	258	1.3800	बा.दो.	-	गुलाबी
			7	10.8335	बा.चा.	-	
			522/64	3.0352	बा.चा.	-	
			03	15.2487			
06	रामसिंह, कस्तुराराम, चिमाराम, नखताराम पि0 नीम्बाराम कौम कुम्हार सा. नीम्बला रहन आरएमजीवी शाखा शिव	भैरूपुरा	7	10.8334	बा.चा.	-	लाल
			01	10.8334			

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित इस निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।



निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव